

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी—श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 153 सन् 2017

पंजीयन दिनांक 25.07.2017

1. मोतीलाल पिता वेणा जाति जाट मृतक के बजाय
 1. नन्दराम पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 2. भेरूलाल पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 3. रामी बाई पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. जीतु पिता टेका जाति जाट मृतक के बजाय
 1. नारायणी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 2. अण्छी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 3. शांति (कांति) पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 4. श्यामलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलांटगण

विरुद्ध

1. रामा पिता हजारी जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. रोशनलाल पिता शोभालाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मधुदेवी पत्नि रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. हर्षित पिता रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध

निर्णय एवं डिक्री न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर

प्रकरण संख्या 76/2015 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2016 एवं

संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

- उपस्थित- 1. चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता अपीलान्तगण
 2. खुमराज कुमावत -अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं. 1
 3. छोगालाल जाट-रेस्पोजेन्ट सं. 2,3,4
 4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पोजेन्ट सं. 5

(2) प्रकरण संख्या - डिक्री 184 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 22.08.2017

1. मोतीलाल पिता वेणा जाति जाट मृतक के बजाय
 1. नन्दराम पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 2. भेरूलाल पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 3. रामी बाई पिता मोती जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. जीतु पिता टेका जाति जाट मृतक के बजाय
 1. नारायणी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 2. अणछी पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 3. शांति (कांति) पुत्री जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
 4. श्यामलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांतगण

विरुद्ध

1. रामा पिता हजारी जाति जाट निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. रोशनलाल पिता शोभालाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मधुदेवी पत्नि रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. हर्षित पिता रोशनलाल जाति लोढा निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोजेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
 निर्णय एवं डिक्री न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर

प्रकरण संख्या 76/2015 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2017


 राजस्थान अपील प्राधिकरण
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

- उपस्थित- 1. चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता अपीलान्तगण
2. खुमराज कुमावत -अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं. 1
3. छोगालाल जाट-रेस्पोजेन्ट सं. 2,3,4
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पोजेन्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक 05.04.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्तगण व रेस्पोजेन्टगण 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बानसेन तहसील भदोसर की आराजी नम्बर 1533, 1536, 1537, 1540, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 कुल किता 9 रकबा 11.45 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात मे रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 हक व हिस्सा व प्रतिवादीगण अपीलान्तगण का संयुक्त रूप से 5/6 हक व हिस्सा निहित है। मौके पर रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्तगण प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से अनुसार बाहमी तौर पर बंटवाडा कर रखा है। किन्तु रेस्पोजेन्ट सं.1 वादी अपीलान्तगण प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजीयात की सीमा बन्दी व लगाम को लेकर लडाई-झगडा करते है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी अपना 1/6 हक व हिस्से को अपीलान्तगण प्रतिवादीगण से अलग बंटवाडा कराकर राजस्व रेकार्ड मे अपना हक हिस्सा अलग दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी ने दिनांक 20.08.2015 को उक्त आराजीयात का बंटवाडा कराने हेतु प्रतिवादी को कहा तो वे इंकार हो गये जिससे वाद कारण पैदा होकर वादपत्र बंटवाडा आराजीयात प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्तगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व बरोज पेशी अपीलान्तगण प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। काउन्टर क्लेम मे यह वर्णित किया कि वाद वर्णित आराजीयात बानसेन मे स्थित होना आंशिक स्वीकार है। किन्तु रेस्पोजेन्ट वादी व अपीलान्तगण प्रतिवादीगण के बीच ओर कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे है। जिसको रेस्पोजेन्ट वादी ने दुर्भावना से वादपत्र मे सम्मिलित नही किया है। जिसके खाता सं. 182 मे दर्ज आराजी नम्बर 1318, 1322 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर खाता सं. 181 मे दर्ज आराजी नम्बर 1320, 1324 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर भी पक्षकारान के संयुक्त हक व हिस्से की है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे रेस्पोजेन्ट वादी का 1/6 अपीलान्तगण प्रतिवादीगण 1 व 2 का 5/6 हक व हिस्सा अपीलान्तगण प्रतिवादीगण ने सम्मिलित होना स्वीकार किया। लेकिन अन्य खाता सं. 182 मे दर्ज आराजी नम्बर 1318, 1322 मे रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 अपीलान्त सं. 2 प्रतिवादी सं. 2 का 5/12 हक हिस्सा निहित है। व खाता सं. 181 मे दर्ज आराजी नम्बर 1320, 1324 मे भी रेस्पोजेन्ट सं. वादी का 1/6 व अपीलान्त सं. 2 का



120
राजस्थान अपील प्राधिकरण
जयपुर (राज.)

5/12 हक व हिस्सा निहित है। जिसको रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी ने सम्मिलित नहीं किया है। काउन्टर क्लेम में यह भी निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी द्वारा अपीलान्तगण प्रतिवादीगण को कभी भी बंटवाड़े हेतु नहीं कहा। व पूर्व में बाहमी बंटवाड़ा होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी ने बिना वाद कारण के अपीलान्तगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आशय का जवाबदावा व काउन्टर क्लेम अपीलान्त प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने में अधीनस्थ विचारण न्यायालय में दावा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम को रेकार्ड पर लिया जाकर रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी के दस्तावेज व अपीलान्तगण प्रतिवादीगण के दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावा व काउन्टर क्लेम में प्रस्तुत सम्पूर्ण आराजीयात के सम्बन्ध में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवाड़े किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिश्नर तहसीलदार भदोसर से उभयपक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 के विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलान्तगण ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 दर्ज रजिस्टर की गई व अपीलान्तगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री 12.07.2017 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण सं. 76/2015 में दिनांक 24.11.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में कमिश्नर से फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे उक्त दोनों ही निर्णय व डिक्री में वाद वर्णित आराजीयात व पक्षकारान समान होने व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर एक साथ एक ही निर्णय से निर्णित की जाने से उचित होने से निर्णित की जा रही है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग-अलग संलग्न की जावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 के विरुद्ध अपीलान्तगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्तगण ने लिखित व अपनी ओर से मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्तगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्तगण प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम से जो अनुतोष चाहा गया वह अपीलान्तगण प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी थी फिर भी नाम कायमी की कार्यवाही किये बगैर निर्णय पारित किया गया। व कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। जिससे कमिश्नर द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नहीं किया जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 व प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 निरस्त फरमाते हुए प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेषपोडेन्ट सं. 1 वादी ने निवेदन किया कि अपीलान्तगण प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर खाता सं. 181 व 182 मे दर्ज आराजीयात जो पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है का भी बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया है। जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर दावा व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मे वर्णित कृषि आराजीयात को सम्मिलित की जाकर मिट्स एण्ड बावण्डस के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। व कमिश्नर स्वयं के द्वारा मौके पर जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से फर्द बंटवाडा उभयपक्षो व मौतबीरान की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। व उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जो नियमानुसार होने से अपीलान्तगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेषपोडेन्ट सं. 2,3,4,5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्तगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस व अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली

का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली में रेस्पॉन्डेंट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अपीलान्तगण प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने दावे एवं काउन्टर क्लेम में सम्पूर्ण आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की होना मानते हुए हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में कमिश्नर द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ उभयपक्षों व मौतबीरान की उपस्थिति में फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया व फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षों की आपत्ति व एतराज सुना जाकर दिनांक 12.07.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 वैधानिक होने से अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें संभवनीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

फलस्वरूप अपील अपीलान्तगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मधुसूदन प्रकरण संख्या 76/2015 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 यथावत रखा जाकर अपीलान्तगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपील क्रमांक डिक्री 153/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 184/2017 में एक-एक प्रति शामिल की जावे। उसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री-नाथदान-शारदा शारदा एस.एस.

अपील सं. 184/2017/डिक्री

- ① श्री मोतीलाल पिता वेहा जाहि जाट हस्त बनाम कुंजजापू -
- (i) नन्दराज पिता मोती जाहि जाट निवासी बानसेन तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़
- (ii) भेरुलाल पिता मोती जाट निवासी बानसेन तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़
- (iii) रामीबाई पिता मोती जाहि जाट निवासी बानसेन तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़
- ② जीतु पिता टेका जाहि जाट हस्त कुंजजापू -
- (i) नारायणी पुत्री जीतु जाहि जाट निवासी बानसेन तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़ -अपीलान्त

- ① श्री रामा पिता हजारी जाहि जाट निवासी बानसेन तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़
- ② रोशनलाल पिता शोभालाल जाहि लोहा निवासी सेही तहसील व जिला जिनौरागढ़
- ③ मधुदेवी पति रोशनलाल जाहि लोहा निवासी सेही तहसील व जिला जिनौरागढ़
- ④ शक्ति पिता रोशनलाल जाहि लोहा निवासी सेही तहसील व जिला जिनौरागढ़
- ⑤ साकार जीपे शुभिधारी तहसील रा भदोसा तहसील भदोसा जिला जिनौरागढ़

-रेस्पोंडेंट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपरवाट अधिकारी, भदोसा दि. 12-7-2017

प्रकरण सं. 76/2015 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 05-4-2022 को अपीलान्त की ओर से

अधिवक्ता श्री-नाथदानभल जाहि जाट निवासी रेस्पोंडेंट की ओर से श्री-रुद्रराज कुंजजापू के पक्ष में

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - राजस्व अपील प्राधिकारी-रेस्पोंडेंट-5

अपील अपीलान्त गण प्रतिवादी गण सं. 1 व 2 अपील कुमांक डिक्री 153/2017 व

अपील कुमांक डिक्री 184/2017 कास्वीकार की जाकर अधिनियम विद्वान

निवासी न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपरवाट अधिकारी भदोसा

प्रकरण संख्या 76/2015 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24-11-16

व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12-07-2017 यथावत शर्तों जाकर

अपीलान्त गण प्रतिवादी गण की ओर से उक्त अपील निरस्त की जाती है।

इस अपील के खर्च, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि रुपये हैं,
..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्च द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 05-4-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री-नाथदान-शारदा शारदा एस.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 05-4-2022

अपील खर्चें :

अपीलान्त	रूपये	रेस्पोंडेंट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. रु. पर प्लीडर की फीस		4. रु. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(2)

- ②. अणदी कुत्री जीतु जातिजाट निवासी
बान्सीन तहसील भद्रेश्वर जिला जिला 515
- ③. शंभू (कांटे) कुत्री जीतु जाट निवासी
बान्सीन तहसील भद्रेश्वर जिला जिला 515
- ④. श्यामलाल पिल जीतु जातिजाट निवासी
बान्सीन तहसील भद्रेश्वर जिला जिला 515

⑤. सरकाखिचो भूमिधारी तहसील
भद्रेश्वर तहसील भद्रेश्वर जिला जिला



राजसूत अणदी अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)